


1.3/10/23

पत्रावली केरा हुई। वकील कारीबेन छात्र
पत्रावली तबनी में लांबित है। आदेशिका
दिनांक 02/12/2022 की पालना में तबनी
पूर्ण लीप कराया जा सकी है। अतः पत्रावली
पत्रावली अंतर्गत् आदेश 9 दिनांक 5 जाप
देवानी के तहत तबनी आभाव में एतद्वारा
स्वार्थ की जाती है। पत्रावली केसल सुभार
होकर अंतर् से काम की जाकर दाखिल
हस्ताक्षर है। निर्णय सुले न्यायालय में
सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर के न्यायालय
सुदा से जारी किया गया।


उपरोक्त अधिकारी
सांभर लेक

